राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(248)परि/नियम/मु./2011/64 जयपुर, दिनांक : 13/01/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
———————————————————— ।

विषयः— पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एंव तिपहिया वाहन में "मैसर्स Livon Gas Equipments को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1), A(II), 115(2)(i) , 115[(15)(a), (aa), (b)(i)], 115 B(1)Eके अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉड़ल हेतु फर्म द्वारा ले—ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM^3(CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Honda Brio SMT	898.5 to 1497.5	Passenger car	1430	5	ICAT, CAOA0122, 28-05-2019

	MPFI"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM^3(CC)	GVW,Kg	Type Approval Certificate No. & Date
1	Honda Brio SMT	1198	1430	ICAT, CAOA0122L01, 24-12-2019

Variants

	MPFI"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM^3(CC)	Type	Vintage of Vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET BEAT	1199	Passenger Car	1st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV Norms	ICAT, CAOA0122L01, 24-12-2019
2	CHEVROLET ENJOY	1399			
3	CHEVROLET SAIL (SEDAN)	1199			
4	CHEVROLET SAIL(HATCH BACK)	1199			
5	CHEVROLET SPARK	995			
6	DATSUN GO	1198	Passenger Car		
7	DATSUN GO PLUS	1198			

8	DATSUN REDI GO	999			
9	FIAT AVVENTURA	1368			
10	FIAT GRAND PUNTO	1368			
11	FIAT LINEA	1368			
12	FIAT GRAND PUNTO	1172			
13	FORD ECOSPORT	999			
14	FORD FIGO	1196			
15	FORD FIGO ASPIRE	1196			
16	HONDA BR-V	1497			
17	HONDA CITY	1497			
18	HONDA WR-V	1199			
19	HONDA MOBILIO	1497			
20	HONDA JAZZ	1198			
21	HONDA AMAZE	1198			
22	HYUNDAI EON KAPPA MAGNA	998			
23	HYUNDAI i10 1.1	1086			
24	HYUNDAI i10 GRAND	1197			
25	HYUNDAI i-20 ACTIVE	1197			
26	HYUNDAI SANTRO	1086			
27	HYUNDAI XCENT	1197			
28	MAHINDRA KUV 100	1198			
29.	HYUNDAI VERNA FLUIDIC 1.4	1396			
30	MARUTI CIAZ	1373			
31	MARUTI ERTIGA	1373			
32	MARUTI ALTO K10	998			
33	MARUTI ASTAR	998			
34	MARUTI BALENO	1197			
35	MARUTI CELERIO	998			
36	MARUTI EECO (5 Seater)	1196			
37	MARUTI EECO (7 SEATER)	1196			
38	MARUTI EECO CARGO	1196			

39	MARUTI IGNIS	1197			
40	MARUTI RITZ	1197			
41	MARUTI SWIFT	1197			
42	MARUTI SWIFT DZIRE	1197			
43	MARUTI DZIRE TOUR S	1197			
44	MARUTI WAGON R	998			
45	MARUTI WAGON R STINGRAY	998			
46	NISSAN MICRA	1198			
47	RENAULT KWID 1.0	999			
48	RENAULT PULSE	1198			
49	SKODA FABIA	1198			
50	TATA NEXON	1198			
51	TATA TIAGO	1199			
52	TATA TIGOR	1199			
53	TATA ZEST	1193			
54	TOYOTA ETIOS LIVA	1197			
55	TOYOTA ETIOS CROSS G	1197			
56	TOYOTA ETIOS CROSS V	1496			
57	TOYOTA ETIOS	1496			
58	VOLKSWAGEN AMEO	1198			
59	VOLKSWAGEN POLO	1198			
60	VOLKSWAGEN VENTO	1197			

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावें।

3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।

5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त-(नियम)

क्रमांक प.7(38)(248)परि/नियम/मु/2011/65-67 जयपुर, दिनांक : 13.1.21

प्रतिलिपि :–

1. M/s. Livon Gas Equipments, Plot No. 32, Vishwakarma complex, behind JAV Forging, Bhakhari Pali Road, Faridabad-121004, को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

-sd-
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(248)परि/नियम/मु./2011/60 जयपुर, दिनांक : 13/01/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
————————————————।

विषयः— पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एंव तिपहिया वाहन में "मैसर्स Livon Gas Equipments को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा EXTENSION के प्रमाण पत्र केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं। जो निम्न प्रकार हैः—

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
HONDA Brio SMT	Passenger Car	1430	1-Addition of Optional make of cylinders. 2- Updation of CNG Kit Technical Specification	CAOA0122 E01 19-12-2019

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(248)परि/नियम/मु./2011/61-63 जयपुर, दिनांक : 13.1.21

प्रतिलिपिः—

1. M/s. Livon Gas Equipments, Plot No. 32, Vishwakarma complex, behind JAV Forging, Bhakhari Pali Road, Faridabad-121004. को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

-Sd-
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)